



2026:AHC:30391

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 574/2026

देवेन्द्र प्रकाश एवं 3 अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आदित्य शुक्ला, आशुतोष शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., दीपक गौड़

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल और प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक गौड़ को सुना गया।
2. तत्काल रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-
"द्वितीय अपील संख्या 3452/2024 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या AL20240645003452) (प्रमोद कुमार और अन्य बनाम देवेन्द्र प्रकाश और अन्य) को निर्धारित समय के भीतर तय करने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित और निर्देशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर द्वितीय अपील, जिसमें याचिकाकर्ताओं को विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, वर्ष 2024 से प्रतिवादी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या 2 के समक्ष लंबित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि द्वितीय अपील अभी तक स्वीकार नहीं की गई है, अतः राजस्व परिषद को उपरोक्त द्वितीय अपील को समयबद्ध अवधि के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश-तालिका भी प्रस्तुत की ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले की कार्यवाही तेजी से नहीं चल रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका को प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः 2 महीने की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, कानून के अनुसार लंबित द्वितीय अपील की ग्राह्यता पर उचित आदेश पारित करें।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

फरवरी 11, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"